

पत्र संख्या :- 5/मं०स०ज०शि० (बैठक) 04/2010 (खण्ड) ..... 576

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

प्रेषक,

विजय कुमार वर्मा,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव,  
बिहार, पटना।

पटना-15, दिनांक ..... 4/9/2012


विषय :- मुख्य सचिव की अध्यक्षता में माह सितम्बर, 2012 में होने वाली अवमाननावाद से संबंधित समीक्षात्मक बैठक के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि अवमाननावाद से संबंधित समीक्षात्मक बैठक के लिए सभी विभागों को दो समूहों में बांटा गया है, जिसकी सूचना पूर्व में विभागीय पत्रांक-211, दिनांक 16.03.2012 के द्वारा दी गई है। सितम्बर, 2012 में होने वाली पहले समूह की बैठक दिनांक-07.09.2012 (प्रथम शुक्रवार) एवं दूसरे समूह की बैठक दिनांक-21.09.2012 (तृतीय शुक्रवार) को मुख्य सचिव के कार्यालय कक्ष में अपराह्न 04:00 बजे आहूत है।

अतः अनुरोध है कि बैठक के दो दिन पूर्व (बुधवार) तक प्रगति प्रतिवेदन पूर्व में प्रेषित प्रपत्र के अलावे उक्त प्रतिवेदन के आधार पर विभागीय पत्रांक-5/मं०स०ज०शि० (बैठक) 04/2010 (खण्ड)-422, दिनांक-14.06.2012 के साथ संलग्न विहित प्रपत्र में ही सारांश सहित इस विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय। साथ ही निर्धारित तिथि एवं समय पर बैठक में स्वयं भाग लेने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

  
(विजय कुमार वर्मा)

सरकार के संयुक्त सचिव।

क्र. (समूह - 01)  
दिनांक - 07.09.2012

01	ग्रामीण विकास विभाग
02	पंचायती राज विभाग
03	ग्रामीण कार्य विभाग
04	नगर विकास एवं आवास विभाग
05	सूचना एवं जन संपर्क विभाग
06	पर्यावरण एवं वन विभाग
07	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग
08	पथ निर्माण विभाग
09	पर्यटन विभाग
10	भवन निर्माण विभाग
11	खान एवं भूतत्व विभाग
12	सामान्य प्रशासन विभाग
13	अनु० जा० एवं अनु० जन० क० विभाग
14	पि० वर्ग एवं अति पि० वर्ग क० विभाग
15	समाज कल्याण विभाग
16	स्वास्थ्य विभाग
17	शिक्षा विभाग
18	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
19	सूचना प्रावैधिकी विभाग
20	ऊर्जा विभाग
21	योजना एवं विकास विभाग
22	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

क्र. (समूह - 02)  
दिनांक - 21.09.2012

01	आपदा प्रबंधन विभाग
02	उद्योग विभाग
03	गन्ना उद्योग विभाग
04	कृषि विभाग
05	सहकारिता विभाग
06	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
07	जल संसाधन विभाग
08	लघु जल संसाधन विभाग
09	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
10	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
11	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
12	श्रम संसाधन विभाग
13	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
14	संसदीय कार्य विभाग
15	निगरानी विभाग
16	निर्वाचन विभाग
17	गृह विभाग
18	वित्त विभाग
19	विधि विभाग
20	वाणिज्य कर विभाग
21	परिवहन विभाग
22	निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग